



नगर निगम दक्षिण, जोधपुर

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के आन्तर, गौरव पथ, जोधपुर

JM

क्रमांक:-/0636

दिनांक-3/11/2020
I.B.T.(B) 57 / 2020-21

श्री पन्नालाल कामोत पुत्र स्व. श्री उग्रमराज कामोत
मूखण्ड सं. 266, प्रथम बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।

::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव प्रसांगिक गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 10.08.2020 के प्रस्ताव संख्या 20 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	बी+जी+2
कुल हीनफल	144.75 वर्गगज

- 1 बालकॉनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगे।
- 2 पड़ोसी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेंगे।
- 3 मानचित्र एवं मॉडटे में यदि खुलती दरवाजी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
- 4 खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगे।
- 5 स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
- 6 पूर्ण जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 भविष्य में प्रकाश राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
- 8 भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरित निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य मानी जायेगी।
- 10 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
- 11 निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साक्ष्यानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12 भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं खाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल मू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत हनुवाई का अवरर देने के पश्चात पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
- 13 भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
- 14 यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेंगे।

- 15 नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.18(38)नविधि/जयपुर/2017पार्ट दिनांक 12 मई 2020 के तहत डेटरमेन्ट लेवी के दो चैक (चैक सं. 211993 दिनांक 15.01.2021 रू0 5,00,000/- तथा चैक सं. 211994 दिनांक 15.04.2021 रू0 5,01,637/-) लेखा शाखा में जमा है। तय तीथी तक चैक अस्वीकार होने पर चैक अस्वीकृत होने की दिनांक (विलंबित अवधि) से नियमानुसार ब्याज देय होगा साथ ही परकाम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instrument Act) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- 16 नियमानुसार मूखण्ड के अग्र भाग में 5'x27' भूमि निशुल्क रोडविर्द हेतु समर्पित रहेगी।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 100/- जांच शुल्क- 1,211/- भवन निर्माण शुल्क- 1,500/- बी.एस.यू.पी. शुल्क- 4,129/- विकास एवं संधारण शुल्क- 12,342/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 6,194/- मलबा शुल्क- 1,000/- उपकर- 34,303/- डेटरमेन्ट लेवी- 5,00,000/- कुल राशि- 5,60,779/- जरिये रसीद संख्या 9069/588 दिनांक 26.10.2020 एवं सुरक्षा व अमानत राशि- 1,500/- जरिये रसीद संख्या 9069/589 दिनांक 26.10.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपका आवेदित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विचारित निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) वसूल किये जायेंगे।

CM-244650
Sanjiv
D/11/20

उपायुक्त
नगर निगम दक्षिण, जोधपुर